निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 69/2024
दायरा दिनांकः—23.12.2024
निर्णय दिनांकः— 30.5.25

उनवान

1. रामगोपाल आयु 58 वर्ष आत्मज रामचन्द्र जाति चमार (ऐरवाल) निवासी ग्राम बिशनखेडाचेना हाल निवासी खेडली भादोल्या मांगरोल रोड तहसील बारां जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 30.5.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री राकेश कुमार गालव — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल बिशनखेड़ाचेना पटवार हल्का पाली तहसील छबड़ा जिला बारां की भूमि खाता संख्या 111 खसरा संख्या 10 रकबा 0.2656 हैक्टयर है। खसरा संख्या 12 रकबा 0.1391 हैक्टयर, खसरा नम्बर 130/3 रकबा 0.4553 हैक्टयर, खसरा संख्या 131 रकबा 0.4679 हैक्टयर, खसरा संख्या 235 रकबा 0.0126 हैक्टयर, खसरा संख्या 44 रकबा 0.1138 हैक्टयर, खसरा संख्या 45 रकबा 0.0885 हैक्टयर, खसरा संख्या 87 रकबा 0.0379 हैक्टयर, कुल खसरे 8 कुल रकबा 1.5807 हैक्टयर, इसी प्रकार खाता संख्या 112 खसरा संख्या 400/4 रकबा 1.2646 हैक्टयर, जिसमे प्रार्थी के स्वर्गीय पिता रामचन्द्र का हिस्सा 1/6 दर्ज जमाबंदी चला आ रहा है। एंव खाता संख्या 113 खसरा संख्या 400/9 रकबा 1.2646 हैक्टयर मे प्रार्थी के स्वर्गीय पिता रामचन्द्र का पूर्ण हिस्सा दर्ज जमाबन्दी चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमियात प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति है जिस पर प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात के खातेदार एंव प्रार्थी के पिता स्वर्गीय रामचन्द्र के पिता का नाम खाता संख्या 113 में पाना एंव खाता संख्या 111 व 112 मे बोलता नाम बृज्या दर्ज हो रहा है। जो गलत है। जबकि प्रार्थी के स्वर्गीय पिता का वास्तविक नाम रामचन्द्र पुत्र वृज्या उर्फ बिरजीलाल है। प्रार्थी के पिता रामचन्द्र की मृत्यु वर्ष 2019 में हो चुकी है। और प्रार्थी अपने

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ता रामचन्द्र के स्थान पर उनके जायज एव वैद्य वारिसान के नाम नामान्तरण खुलवाना चाहता है। परन्तु प्रार्थी के स्वर्गीय पिता रामचन्द्र के पिता एंव प्रार्थी के दादा वृज्या उर्फ बिरजीलाल का नाम प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमियात मे पाना, बृज्या अलग–अलग दर्ज होने के कारण नामान्तरण नहीं हो सका। जिसके कारण प्रार्थी एंव अन्य शेष वारिसान को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सके है। प्रार्थी वैधानिक रूप से खातेदारी प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है। खातेदारी में प्रार्थी के दादा का दर्ज नाम पाना व बृज्या लिपिकीय गलती है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त गलती को दुरूस्त नहीं किया गया तो प्रार्थी व अन्य वारिसान को अपने पैतृक साम्पत्तिक अधिकारो से वंचित होना पड़ेगा। उक्त लिपि–कीयगलती के कारण प्रार्थी को पैतृक भूमियात पर खातेदारी अधिकार नही मिल सके। जिसके कारण प्रार्थी को केन्द्रीय / राज्य सरकार की योजनाओ का लाभ नही मिल रहा है। जिसके कारण प्रार्थी अपनी उक्त भूमियात को उन्नत करने में असक्षम है। न तो प्रार्थी को के.सी.सी नही मिल रही है। और ना ही प्रार्थी विधुत कनेक्शन ले पा रहा है। इसलिए प्रार्थी को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी से रिपोर्ट ली गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बिशनखेडाचैना तहसील छबडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 113 नकल जमाबन्दी ग्राम बिशनखेडाचैना तहसील छबडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 112 नकल जमाबन्दी ग्राम बिशनखेडाचैना तहसील छबडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 111 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड मृत्यु प्रमाण पत्र आधार कार्ड रामगोपाल पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बिशनखेडाचैना तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी के स्व0 पिता रामचन्द्र का हिस्सा 1/6 दर्ज है खाता संख्या 113 में प्रार्थी के पिता रामचन्द का पूर्ण हिस्सा है। उक्त आराजी के खातेदार एवं प्रार्थी के पिता स्व0 रामचन्द के पिता का नाम खाता संख्या 113 में पाया एवं खाता संख्या 111 व 112 में बोलता नाम बृज्या हो रहा है जो गलत है प्रार्थी के स्व0 पिता का वास्तविक नाम रामचन्द पुत्र बृज्या उर्फ बिरजीलाल है प्रार्थी के पिता रामचन्द का स्वर्गवास हो चुका है रामचन्द के वारिसान के नाम नामान्तरण खुलवाना है परन्तु प्रार्थी के स्व0 पिता रामचन्द के पिता एवं प्रार्थी के दादा बृज्या उर्फ बिरजीलाल का नाम पाना बृज्या दर्ज होने के कारण नामान्तरण नही खुल पा रहा है उक्त गलती लिपिकीय त्रुटि है। जिसके कारण राज्य सरकार से मिलने वाले समस्त लाभो से वंचित होना पड रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के पिता रामचन्द के पिता बृज्या का नाम दुरूस्त किया जावें।।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम बिशनखेडाचैना के खाता संख्या 111, 112 में खातेदार रामचन्द पुत्र बृज्या दर्ज है एवं खाता संख्या 113 में खातेदार का नाम रामचन्द पुत्र पाना दर्ज है खाता संख्या 113 में दर्ज भूमि आंवटन से मिली है जिसमें रिकार्ड की जांच की गई रिकार्ड में नामान्तरण संख्या 364 से खातेदारी प्राप्त हुई जिसमें खातेदार का नाम रामचन्द पुत्र पाना जाति चमार ही दर्ज है प्रार्थी रामचन्द पुत्र बृज्या एवं रामचन्द पुत्र पाना को बृज्या

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बिरजीलाल करवाना चाहता है जिसकी ग्राम वासियों से पुछताछ की गई जिसमें ग्राम वासियों ने बताया की प्रार्थी के पिता का नाम बृज्या उर्फ बिरजीलाल बताया तथा पाना नाम का व्यक्ति ग्राम में नही है। एवं ग्राम वासियों ने बताया की बृज्या उर्फ बिरजीलाल को पाना के नाम से नही जानतें है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बिशनखेडाचैना सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 113 में रामचन्द पुत्र पाना जाति चमार दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम बिशनखेडाचैना सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 112 एवं खाता संख्या 111 में रामचन्द पुत्र बृज्या हिस्सा 1/6, 1/6 दर्ज है। आधार कार्ड रामचन्द पुत्र बरध्या लाल मृत्यु प्रमाण पत्र में रामचन्द पुत्र बिरजीलाल दर्ज है आधार कार्ड रामगोपाल में पिता का नाम रामचन्द दर्ज है प्रार्थी अपने दादा का नाम बृज्या व पाना के स्थान पर बृज्या उर्फ बिरजीलाल दर्ज कराना चाहता है। खाता संख्या 113 की भूमि मुताबिक तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट अनुसार रामचन्द पुत्र पाना चमार को आवंटन हुई थी। खाता संख्या 111 व 112 में रामचन्द के पिता का नाम बृज्या दर्ज है। प्रार्थी अपने स्वंय के दादा का नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष बिना साक्ष्य/सबूतों के दिया जाना सभंव नही है। इसलिए प्रार्थी को अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट अनुतोष अनुज्ञेय नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा